

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939
No. 859]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) (केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2017

सं. 49/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1306(अ).—केंद्रीय सरकार, सा.का.नि. सं. 1305(अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017-केंद्रीय कर तारीख 18 अक्तूबर, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाउल्लिखित ऐसे साक्ष्य के रूप में, जिसे प्रतिदाय का दावा करने के लिए समझी गई निर्यात पूर्तियों के पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचित करती है, अर्थात् :---

सारणी

क्रम सं	साक्ष्य
(1)	(2)
1	यथास्थिति, अग्रिम प्राधिकार धारक या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक का अधिकारिता वाला कर
	अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां उक्त अग्रिम प्राधिकार या निर्यात संवर्धन पूंजी माल प्राधिकार धारक द्वारा प्राप्त हो गई हैं या प्राप्तिकर्ता निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित
	ऐसा कर बीजक जिसके अधीन ऐसी पूर्तियां पूर्तिकर्ता द्वारा की गई हैं, कि उक्त समझी गई निर्यात पूर्तियां
	उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं, की एक प्रति ।

6314 GI/2017 (1)

2	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि ऐसी पूर्तियों पर कोई इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उसके द्वारा नहीं लिया गया है ।
3	समझी गई निर्यात पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता द्वारा वचनबंध कि वह ऐसी पूर्तियों की बाबत प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और पूर्तिकर्ता प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

No. 49/2017-Central Tax

G.S.R. 1306(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-rule (2) of rule 89 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 read with notification No. 48/2017-Central Tax, dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1305(E), dated the 18th October, 2017, the Central Government hereby notifies the following, as detailed in column (2) of the Table below, as evidences which are required to be produced by the supplier of deemed export supplies for claiming refund, namely:—

TABLE

Sl. No.	Evidence
(1)	(2)
1.	Acknowledgment by the jurisdictional Tax officer of the Advance Authorisation holder or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, as the case may be, that the said deemed export supplies have been received by the said Advance Authorisation or Export Promotion Capital Goods Authorisation holder, or a copy of the tax invoice under which such supplies have been made by the supplier, duly signed by the recipient Export Oriented Unit that said deemed export supplies have been received by it.
2.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that no input tax credit on such supplies has been availed of by him.
3.	An undertaking by the recipient of deemed export supplies that he shall not claim the refund in respect of such supplies and the supplier may claim the refund.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.